


राजस्थान –सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।  
क्रमांक: ई-11/नर्स-2/(विलो0)/वी-1/18/ दिनांक

आदेश

श्री कृष्ण कान्त शर्मा, नर्स-2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नोगांवा अलवर, जिनकी राज्य सेवा में रहते हुये दिनांक 24.08.17 को मृत्यु हो जाने के कारण निदेशालय के आदेश क्रमांक 982 दिनांक 20.11.17 द्वारा मृत्यु दिनांक से राज्य सेवा से नाम विलोपित किया गया था, के विरुद्ध मृत्यु दिनांक तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/ लंबित नहीं है।

  
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं  
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: ई-11/नर्स-2/(विलो0)/वी-1/18/59

दिनांक: 12/01/2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज0 जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर।
4. सम्बन्धित कार्मिक के आश्रित को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
5. डीपीसी सैल (नर्सिंग अनुभाग) मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को विभागीय बेबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. आदेश पत्रावली।

  
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं  
राजस्थान जयपुर।